न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या- 08 / 2022 (225 आर.टी.एक्ट)
सी.सी.एम.एस. संख्या- 2022 / 16

उनवान

1. पूजरया पुत्र मोरया उम्र 80 जाति मीना निवासी उदेई खुर्द तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर। (फौत)
1 / 1. हरिचरण पुत्र पूजरया
1 / 2. शिवचरण पुत्र पूजरया
1 / 3. धनपति पुत्री पूजरया
1 / 4. रामा पुत्री पूजरया
1 / 5. जानकी पुत्री पूजरया
समस्त जाति मीना निवासी उदेई खुर्द तहसील वजीरपुर जिला जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलांट्स।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र बत्तीलाल
2. कजोड़ी पत्नी बाबूलाल
3. हरकेश पुत्र बत्तीलाल
4. दुलारी पत्नी हरकेश
5. नमोनारायण पुत्र हरकेश
6. मुकेश पुत्र हरकेश

समस्त जातियान मीना निवासीयान उदेई खुर्द तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:-

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गुजरया बनाम बाबूलाल वगैरह
अपील संख्या 06/2022

-: निर्णय :-

दिनांक 27.02.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र संख्या 18/2020 बउनवान गुजरया बनाम बाबूलाल में पारित निर्णय दिनांक 17.02.22 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र मातहत अदालत वजीरपुर के समक्ष अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 3544 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 3545 रकबा 0.42 है0, खसरा नंबर 3550 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 3551 रकबा 0.31 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.31 है0 ग्राम उदेई खुर्द तहसील वजीरपुर में अपीलांट के खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद फरमाया जावें कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखलत न स्वयं करे ना दीगर से करावें। मातहत अदालत ने दिनांक 17.02.22 को निर्णय पारित करते हुए उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से तापैसला पाबन्द फरमाया दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि रेस्पोंडेन्टगण मात्र फर्जी दस्तावेज तैयार करके विवादित भूमि को हड़पने के लिये प्रयत्नशील है। उक्त विवादित आराजीयात अपीलांटस् के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। रेस्पोंडेन्टगण का इससे कोई संबंध नही है। रेस्पोंडेन्ट ने बही में फर्जी रहननामा दिनांक 17.06.18 की तारीख का तहरीर करके अपीलांट के स्वामित्व की बेशकीमती भूमि को हड़पने के लिये प्रयत्नशील है। जबकि बही में गवाहान के हस्ताक्षर भी फर्जी रूप में किये है। इन तथ्यों पर गौर किए बिना ही मातहत अदालत द्वारा उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित नहीं है। मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों [illegible] तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मात्र एक फर्जी रह[illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना किसी भी प्रकार से [illegible] अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:36 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उक्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड के खातेदार को अरथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता हैं अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 17.02.22 को अपास्त फरमाया जावें।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट/वादी ने दिनांक 17.06.18 को रेस्पो0 संख्या 01 के पास 6 लाख रूपये में इस शर्त पर गिरवी रखा थ कि उक्त भूमि को 2 साल की अवधि में मुक्त करवा लुंगा यदि 2 साल में मुक्त नही करवा पाउं तो उक्त भूमि 6 लाख रूपये मे ही विकी मानी जावेगी। वर्तमान समय में उक्त आराजीयात पर बाबूलाल का कब्जा है ना कि अपीलांटस् का। मुख्य वाद भी "कब्जे" से ही संबंधित है। यदि केवल रेस्पो0 को ही अरथाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है तो उभयपक्ष के मध्य मुकदमेबाजी और अधिक बढने की संभावना है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2076-2079 वाके ग्राम उदेईखुर्द तहसील वजीरपुर के अनुसार खसरा नंबर 3444 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 3446 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 3554 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 3545 रकबा 0.42 है0, खसरा नंबर 3549 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 3550 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 3551 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 3556 0.18 है0, खसरा नंबर 3557 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 3594 रकबा 0.55, खसरा नंबर 3610 रकबा 0.92 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 3.58 है0 गुजरया पुत्र भौरया जाति मीना सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजीयात बाबत् रहननामा दिनांक 17.06.18 का विस्तृत परीक्षण अदालत मातहत द्वारा सबूत साक्ष्यों के आधार किया गया है। अप्रार्थीगण बाबूलाल द्वारा इसी रहननामा के आधार पर सिविल वाद संख्या 161/21 न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय गंगापुर सिटी मे बाबत् विनिर्दिष्ट पालना व स्थायी निषेधाज्ञा दायर किया हुआ है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जमाबंदी रिकार्ड के अनुसार अपीलांटगण का तथा रहननामा के आधार पर अप्रार्थीगण का प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में "कब्जा" का निर्धारण सबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत मातहत मे ही तय हो सकेगा। इस कारण अदालत मातहत द्वारा उभयपक्षों के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश विधिक रूप से न्यायोचित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने दृष्टांत 2018(1) आर.आर.टी. 156 मे भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः-

अपील प्राधिकारी
मार्बांपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner